

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 148/2025

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ, का अधिवेशन दिनांक-23 एवं 24.08.2025 को लखनऊ में प्रस्तावित है, जिसके सन्दर्भ में श्री हरेन्द्र बहादुर सिंह, महासचिव, उ० प्र० न्यायिक सेवा संघ के पत्र दिनांक-06.08.2025 द्वारा समस्त जनपद न्यायालयों को प्रेषित करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि दिनांक-23.08.2025 को जिन जिलों में कार्य दिवस है वहाँ अवकाश घोषित करते हुए अन्य किसी चतुर्थ शनिवार, अवकाश के दिन को कार्य दिवस घोषित किया जाये, ताकि न्यायिक अधिकारीगण उक्त प्रस्तावित अधिवेशन में सहभाग कर सकें। दिनांक-23.08.2025 को चतुर्थ शनिवार (अवकाश) है, जो एम०ए०सी०टी० के न्यायालय में लागू नहीं है। इस सन्दर्भ में दिनांक-23.08.2025 को अवकाश घोषित किया जाता है एवं दिनांक-24.11.2025 को उक्त अवकाश समायोजित करते हुए कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

सभी सम्बन्धित सूचित हो, आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायी जाये।

दिनांक-11.08.2025

(डा० लक्ष्मी कान्त राठौर)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि-

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।
- 2-प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 3-प्रभारी अधिकारी नजारत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय, में चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 4-गार्ड फाइल।